बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 12 अंक 147

समझदारी व संवेदनशीलता जरूरी

गृहमंत्री अमित शाह द्वारा जम्मू कश्मीर के ढांचे में दूरगामी प्रभाव वाले बदलावों की घोषणा के बाद सरकार को यह सुनिश्चित करने का प्रयास करना चाहिए कि इस प्रक्रिया को समझदारी और संवेदनशीलता के साथ अंजाम दिया जाए। राज्यसभा में दिए अपने भाषण में शाह ने कहा कि राज्य को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निष्प्रभावी करने से राज्य का आर्थिक विकास सुनिश्चित हो सकेगा।

उनका यह कहना सही था कि जम्मू कश्मीर का आर्थिक विकास राष्ट्रीय औसत से काफी कम है। परंतु इसके अतिरिक्त अपने विस्तृत भाषण में उन्होंने यह नहीं बताया कि राज्य की विशेष स्वायत्तता समाप्त करने और दो केंद्रशासित क्षेत्र बनाने से बेहतर विकास कैसे सुनिश्चित होगा। ये संदेह इसलिए भी उत्पन्न हुए हैं क्योंकि राज्य के राजस्व में केंद्र की हिस्सेदारी पहले भी 71 फीसदी रही है। अब केंद्रशासित क्षेत्र का दर्जा मिलने का अर्थ यह है कि दोनों नए क्षेत्रों को धन अब केंद्र से मिलेगा जबकि पहले यह राज्यों के संसाधनों के पूल से होने वाले बंटवारे से आता था। चूंकि केंद्र के राजकोष पर पहले ही काफी दबाव है, ऐसे में यह सवाल भी है कि वह यह अतिरिक्त बोझ वहन कर सकने की स्थिति में है भी या नहीं? एक ऐसा राज्य जो बहुत बड़े पैमाने पर सुरक्षा बलों की घेरेबंदी में रहा हो, यह आवश्यक है कि सरकार दोनों नए केंद्रशासित क्षेत्र के तेज आर्थिक विकास को लेकर किए गए वादे के कार्यान्वयन के बारे में स्पष्ट घोषणा कर दे ताकि किसी भी प्रकार की गड़बड़ियों की आशंका दूर हो सके।

सरकार ने हिंदुत्व एजेंडे का एक अहम लक्ष्य हासिल कर लिया है और उसके लिए यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि इस घटना का कोई भी गलत प्रभाव सीमित किया जा सके। अनुच्छेद 370 को लेकर हो रही सार्वजनिक बहस में ज्यादातर ध्यान इस बात पर केंद्रित है कि कैसे अनुच्छेद 35ए समाप्त होने से राज्य के बाहर के भारतीय नागरिक भी वहां जमीन और संपत्ति खरीद सकेंगे। सामान्य तौर पर इस बदलाव पर आपत्ति नहीं होनी चाहिए थी लेकिन देश के अन्य हिस्सों के हिंदुओं के जमावड़े और उनकी बहुलता की आशंका, अशांति की बड़ी वजह बन सकती है। गाजा और पश्चिमी तट के रूप में इसके उदाहरण मौजूद हैं। ऐसे में सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि जम्मू कश्मीर के जनांकीय ढांचे में बदलाव का कोई प्रयास नहीं किया जाएगा या फिर वहां नए बसने वाले लोगों के लिए इजरायली नियंत्रण वाले फिलिस्तीन क्षेत्र के तर्ज पर गेट वाला आवासीय परिसर तैयार किया जाएगा।

जिस तरह एक राज्य को दो केंद्रशासित क्षेत्रों में बदला गया है और जिस तरह केंद्र ने वहां की पुलिस और भूमि पर नियंत्रण किया है, उसका असर देश के सभी राज्यों पर होगा। तकनीकी तौर पर यह संभव है कि अन्य राज्यों में इसी प्रकार संवैधानिक आघात पहुंचाया जाए। जहां राज्य विधानसभा को भंग करने के बाद राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है और राज्यपाल राज्य के तौर पर और संसद राज्य विधानसभा के रूप में निर्णय ले सकती है। सर्वोच्च न्यायालय को देखना चाहिए कि यह व्यवस्था उचित है या नहीं और इसका दोहराव रोकने के लिए उचित संवैधानिक उपाय भी करने होंगे। आखिर में, सोमवार को उठाए गए कदमों में राज्य और उसके राजनीतिक तंत्र को साथ नहीं लिया गया। यह ऐसी चूक है जिसकी भरपाई विश्वास बहाली के लिए व्यापक चर्चा के माध्यम से ही हो सकती है। बदले में राज्य के नेताओं को भी यह समझदारी दिखानी चाहिए कि इतिहास का एक पन्ना पलटा जा चुका है और उन्हें यह देखना होगा कि नई व्यवस्था में राज्य के लोगों की बेहतरी किस बात में है।

विनय सिन्हा

जम्मू एवं कश्मीर में जोखिम भरा कदम

केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर को लेकर अपना दांव चल चुकी है। अब इन कदमों के संभावित असर और जोखिम को कम करने की दिशा में प्रयास करने की आवश्यकता है। विस्तार से बता रहे हैं श्याम सरन

केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर को लेकर कोई बड़ा कदम उठाने वाली है, यह बात संसद में 5 अगस्त को हुई घोषणाओं से करीब एक सप्ताह पहले से लगभग सबको पता थी। घाटी में बड़ी तादाद में अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती, मुख्य धारा के राजनीतिक दलों के कई नेताओं को नजरबंद करना, अमरनाथ यात्रा रद्द करना और गैर कश्मीरी पर्यटकों, छात्रों और अन्य यात्रियों को बड़े पैमाने पर वहां से बाहर करना आदि ऐसे अप्रत्याशित कदम थे, जो बताते थे कुछ बड़ा घटनाक्रम होने वाला है।

देश के गृहमंत्री ने संसद में जो घोषणाएं कीं, वे जम्मू कश्मीर को लेकर सरकारी नीति में आमूलचूल बदलाव लाने वाली हैं। राष्ट्रपति के एक आदेश से जम्मू कश्मीर का वह विशेष दर्जा समाप्त कर दिया गया जो उसे संविधान के अनुच्छेद 370 से मिला था। इसके साथ ही उसका वह स्वायत्त दर्जा भी समाप्त हो गया जो कश्मीर के निर्वाचित राजनीतिक नेतृत्व और भारत के केंद्रीय नेतृत्व के बीच समझौते से उत्पन्न हुआ था। एक्सेशन यानी विलय और स्वायत्तता में अंतर है। महाराजा हरि सिंह ने जिस विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे वह राज्य को भारतीय गणराज्य का अभिन्न अंग बनाता है। स्वायत्तता कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में प्रदान की गई जिसके तहत उसे अन्य राज्यों से इतर कुछ अधिकार प्राप्त हुए। ये अधिकार अनुच्छेद 370 से निकले। राष्ट्रपति के आदेश के बाद स्वायत्तता का अतिरिक्त तत्त्व अवैध हो गया। यह बदलाव वास्तविक से अधिक प्रतीकात्मक है क्योंकि बीते वर्षों के दौरान केंद्र सरकार ने व्यवस्थित तरीके से राज्य की स्वायत्तता समाप्त की है। यह भी कहा जा सकता है कि देश के अन्य राज्यों की तुलना में जम्मू कश्मीर में केंद्र का हस्तक्षेप अधिक रहता है। परंतु जो वास्तविक राजनीतिक समझौता राज्य की विशिष्ट पहचान से जुड़ा हुआ था, उसे केंद्र सरकार ने एकपक्षीय ढंग से समाप्त कर दिया।

संसद ने भी जम्मू कश्मीर के दर्जे में बदलाव को मंजूरी दे दी। इस तरह उसकी स्वायत्तता और कम हो गई। राज्य को दो हिस्सों में बांटा जाएगा-जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख। अब इसे पूर्ण राज्य के बजाय केंद्रशासित प्रदेश का दर्जा होगा और इस पर केंद्र उप राज्यपाल के माध्यम से शासन करेगा। यह स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहला अवसर है जब एक राज्य को केंद्रशासित प्रदेश बनाया गया और इसे सुरक्षा कारणों से उचित बताया गया। भले ही यह व्यवस्था अस्थायी हो लेकिन घाटी की आबादी इसे अपना अपमान और तुच्छ बताया जाना मानेगी। इतना ही नहीं यह देश के अन्य राज्यों के लिए भी एक अपशकुन भरी नजीर है।

यह स्पष्ट नहीं है कि नई व्यवस्था पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से कैसे निपटेगी। कथित आजाद कश्मीर, गिलगित और बाल्टिस्तान उसका हिस्सा है। उदाहरण के लिए क्या गिलगित और और बाल्टिस्तान को लद्दाख की तरह केंद्रशासित प्रदेश घोषित किया जाएगा? क्या नए कदमों का यह अर्थ है कि हम अब पाकिस्तान के साथ संवाद प्रक्रिया में जम्मू कश्मीर को बतौर एजेंडा शामिल नहीं करेंगे? या फिर क्या जम्मू कश्मीर एजेंडे पर बने रहेंगे क्योंकि हम पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को भारत को लौटाने पर चर्चा जारी रखना चाहते हैं?

घोषणा के पहले सुरक्षा को लेकर जो अप्रत्याशित उपाय अपनाए गए और जो अब भी बरकरार हैं। इससे यह लगता है कि सरकार को इस बात का अंदाजा था कि यह कदम जनता के गले नहीं उतरेगा और इसका हिंसात्मक विरोध देखने को मिल सकता है। कहा जा रहा है कि आम कश्मीरियों ने इस घोषणा का स्वागत किया है। यह बात गले नहीं उतरती क्योंकि वे पहले ही एक के बाद एक सरकारों की नीतियों से खुद को अलग थलग महसूस कर रहे हैं। बहरहाल, समूचे उत्तर भारत में इन घोषणाओं का जबरदस्त स्वागत देखने को मिल रहा है। व्यापक रुझान यह भी है कि कश्मीरियों को बहुत तवज्जो दी जाती है, वे राष्ट्र विरोधी और देशद्रोही हैं तथा उनसे सख्ती से निपटने की आवश्यकता है। ठीक वैसे ही जैसे बागी तबियत के बच्चे से निपटा जाता है। ताजा निर्णय लोकप्रिय हैं और देश के हिंदी प्रदेश में सत्ताधारी दल के राजनीतिक रसूख को और मजबूत करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता इससे और बढ़ेगी। इतना ही नहीं यह घटनाक्रम कमजोर आर्थिक स्थिति की खबरों पर से ध्यान हटाएगा, भले ही यह वास्तविक इरादा न हो।

केंद्र सरकार को भरोसा है कि वह हथियारों के दम पर घाटी में शांति बहाल कर सकती है, भले ही इसका नतीजा जबरदस्ती शांति स्थापित करने के रूप में सामने आए। एक दलील यह है कि अनुच्छेद 370 के तहत अतिरिक्त स्वायत्तता तो मिलती रही लेकिन इसने कश्मीरी लोगों को देश की मुख्यधारा का हिस्सा नहीं बनने दिया। इसके अंत के साथ ही राज्य का पूरी तरह एकीकरण हो गया है। बहरहाल असली नतीजा बढ़ी हुई हिंसा और चरमपंथ के रूप में देखने को मिल सकता है।

पाकिस्तान हालात का फायदा उठाएगा। सीमापार आतंकवाद बढ़ेगा और नियंत्रण रेखा पर गोलीबारी भी बढ़ेगी। वह मुद्दे को अंतरराष्ट्रीय मंचों पर उठाएगा। यह सुखद है कि अब तक किसी बड़े बाहरी मुल्क ने नागरिकों को कश्मीर न जाने की सलाह देने के अलावा इस विषय पर कोई वक्तव्य नहीं दिया है। मामला शांतिपूर्ण रहने पर वह सलाह भी वापस ली जा सकती है।

भारत-पाकिस्तान तनाव बढ़ने पर अमेरिका और चीन का कूदना लाजिमी है। अमेरिका अफगानिस्तान से अपने सैनिक हटाने में लगा हुआ है और वह पाकिस्तान को अफगान शांति समझौते में अहम मानता है। पाकिस्तान पहले ही कह चुका है कि अगर भारत को जम्मू कश्मीर के दर्जे में राजनीतिक बदलाव करने दिए गए तो वह शायद उक्त भूमिका नहीं निभा सकेगा। अमेरिकी प्रशासन के प्रभावी धड़ों का मानना है कि अफगान शांति की राह कश्मीर से होकर जाती है। हमें इस मसले पर अमेरिकी और पश्चिमी सक्रियता के दोबार उत्पन्न होने को लेकर सावधान रहना होगा। पाकिस्तान इस्लामिक देशों के बीच भी भारत के खिलाफ माहौल बनाने का प्रयास करेगा। अपने बढ़ते कद के कारण भारत को इनका जवाब देने में सक्षम होना चाहिए। बहरहाल, देश का अंतरराष्ट्रीय कद काफी हद तक उसकी बढ़ती आर्थिक शक्ति और निरंतर विस्तारित होते बाजार से संबद्ध है। अगर देश की अर्थव्यवस्था में धीमापन आता रहा और संरक्षणवादी कदम बढ़ते रहे तो इसका असर हमारे अंतरराष्ट्रीय कद पर भी पड़ेगा। घाटी की संभावित स्थिति के अंतरराष्ट्रीय असर से निपटना और मुश्किल होगा। अब तीर कमान से निकल चुका है और संभव है कि चीजें सरकार के हिसाब से न घटें। बेहतर होगा कि अब संभावित जोखिमों का आकलन कर उन्हें कम करने पर काम किया जाए।

(लेखक पूर्व विदेश सचिव हैं और अभी सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च के सीनियर फेलो हैं)

आर्थिक मंदी : मोदी सरकार की प्रतिक्रिया के तीन विरोधाभास

दिल्ली डायरी

ए के भट्टाचार्य

हाल के महीनों में सरकार द्वारा देश की अर्थव्यवस्था के प्रबंधन में व्यापक तौर पर तीन विरोधाभासी रुझान देखने को मिले हैं। इन विरोधाभासों के चलते मौजूदा आर्थिक मंदी से निपटने की नीतिगत चुनौती और कठिन हो गई है। यह कहना मुश्किल है कि मोदी सरकार इन विरोधाभासों को कितनी जल्दी निपटाएगी लेकिन उनको जल्दी चिह्नित करना, हल की दिशा में पहला कदम है।

पहला विरोधाभास केंद्र की तनावग्रस्त वित्तीय स्थिति से उपजता है। सरकार के राजकोषीय घाटे के शीर्ष आंकड़े पूरी कहानी नहीं कहते। वर्ष 2018-19 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद के 3.4 फीसदी था और 2019-20 में उसके 3.3 रह जाने का अनुमान है। परंतु ये आंकड़े सरकार के राजकोष पर पड़ रहे वास्तविक तनाव को छिपा लेते हैं। बजट से इतर उधारी और धीमे होते कर संग्रह के बड़े हिस्से के साथ सरकार के राजस्व और व्यय में बड़ा अंतर है। यह राजकोषीय घाटे के आंकड़ों से समझ में नहीं आता।

इसके बावजूद लोक कल्याण के मोर्चे पर रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। इसका अर्थ यह हुआ कि सरकार को और अधिक संसाधनों की आवश्यकता है, तभी वह इन कल्याण योजनाओं को संचालित कर सकेगी। मिसाल के तौर पर हालिया बजट में उल्लिखित सबको नल से पानी देने की घोषणा, फरवरी में अंतरिम बजट में किसानों की आय का हस्तांतरण करने की योजना आदि इसका उदाहरण हैं। एक वर्ष पहले देश की आधी आबादी के लिए भारी भरकम स्वास्थ्य बीमा योजना की घोषणा की गई थी। इनके अलावा भी गरीबों के लिए रियायती गैस कनेक्शन, सस्ते आवास और ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना भी है जिसे मनमोहन सिंह की सरकार ने शुरू किया था। इन्हें देखकर यह स्पष्ट है कि आखिर क्यों केंद्र के वित्त पर राजकोषीय बोझ बढ़ता जा रहा है। आदर्श स्थिति में कल्याण योजनाओं पर सवाल नहीं उठाया जाना चाहिए। परंतु जब सरकारी वित्त दबाव में हो तो लोक कल्याण के बढ़ते बोझ और सरकार की तंग राजकोषीय स्थिति का विरोधाभास मुखर हो जाता है। संक्षेप में कहें तो मोदी सरकार चाहती है कि उसकी भूमिका तो बड़ी रहे लेकिन उसके पास गुंजाइश नहीं है। दूसरे शब्दों में वित्तीय संसाधनों का अभाव है। इस बात को सरकार के कर संग्रह विभागों की अति सक्रियता से आंका जा सकता है। कॉर्पोरेट करदाताओं की ओर से उत्पीड़न की शिकायत आमतौर पर बढ़ रही है। कर संग्रह के लक्ष्य ऐसे स्तर पर तय किए गए हैं जो महत्त्वाकांक्षी भी हैं और हकीकत से दूर भी। इस दौरान अर्थव्यवस्था में आ रहे धीमेपन को चिह्नित नहीं किया गया। धीमेपन का प्रभाव कर संग्रह पर भी पड़ रहा है। एक अन्य स्तर पर सरकार ने सरकारी राजस्व के एक हिस्से पर काबिज होने के विकल्प तलाशने शुरू किए ताकि उन्हें राज्यों के साथ साझा नहीं करना पड़े। करों पर अधिभार और उपकर के मामले बढ़ रहे हैं। इन्हें राज्यों के साथ साझा नहीं करना होता और साथ ही रक्षा और आंतरिक सुरक्षा पर होने वाले व्यय के लिए अलग फंडिंग की तलाश की जा रही है ताकि उन्हें सुनिश्चित आवंटन हो सके। ये सारे रुझान परेशान करने वाले हैं।

> आदर्श स्थिति में कल्याण योजनाओं पर सवाल नहीं उठाया जाना चाहिए। परंतु जब सरकारी वित्त दबाव में हो तो लोक कल्याण के बढ़ते बोझ और सरकार की तंग राजकोषीय स्थिति का विरोधाभास मुखर हो जाता है

दूसरा विरोधाभास मोदी सरकार के राजनीतिक रुख से सामने आता है। वर्ष 2019 के आम चुनाव के नतीजों ने यह दर्शाया कि मोदी सरकार की राजनीतिक पूंजी में काफी इजाफा हुआ है। उसे न केवल लोकसभा में अधिक सीट मिलीं बल्कि दक्षिण के कुछ राज्यों को छोड़कर लगभग सभी राज्यों में विपक्ष पूरी तरह समाप्त हो गया। संसद में कोई भी कानून पारित करने में उसे बहुत कम विरोध का सामना करना पड़ता है।

विडंबना यह है कि मोदी सरकार अपनी राजनीतिक पूंजी का इस्तेमाल कोई आर्थिक नीति संबंधी कदम उठाने में करना ही नहीं चाहती। उसे डर है कि इससे उसकी राजनीतिक ताकत कम होगी। वह ऐसे आर्थिक नीति संबंधी कदम नहीं उठाना चाहती है जिनसे लगे कि सरकार बड़े कारोबारियों का साथ दे रही है। इससे उसके मतदाता नाराज हो सकते हैं क्योंकि इनमें मध्य वर्ग और गरीब तबके के लोग अधिक हैं। यही कारण है कि बड़े अमीरों पर कर बढ़ाया गया और देश के उद्यमी जगत के लिए कम कराधान वाली व्यवस्था सामने नहीं आई।

तीसरा विरोधाभास उस तरीके में नजर आया जिसे अपनाकर सरकार ने निवेश बढ़ाने का प्रयास किया है। सरकार ने इस बात को चिह्नित किया कि उसके पास या निजी क्षेत्र के पास संसाधनों का अभाव है। ऐसे में वह देश में निवेश को बढ़ावा देने के लिए विदेशी पूंजी पर अत्यधिक निर्भर है। परंतु विदेशी पूंजी की आवक के कारण देश के भुगतान संतुलन पर पड़ने वाले किसी भी संभावित नकारात्मक दबाव को कम करने के लिए निर्यात को बढ़ावा देने का कोई प्रयास नहीं किया गया। अधिमूल्यित रुपये के निर्यात पर पड़ने वाले विपरीत प्रभाव को दूर करने के लिए खामियों भरी विनिमय दर नीति को ठीक करने के बजाय, सरकार आयात प्रतिस्थापन की राह अपना रही है। बीते कुछ बजट में जिस प्रकार आयात शुल्क बढ़ाया गया, उससे यह स्पष्ट जाहिर होता है।

लब्बोलुआब यह कि अगले कुछ महीनों में जब तक इन विरोधाभासों को दूर नहीं किया जाता, इस बात की संभावना बहुत कम है कि सरकार आर्थिक मंदी की चुनौतियों से पार पा सकेगी।

कानाफूसी

अनुरोध का मान

सोमवार को जब राज्यसभा में जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 में संशोधन पर बहस की शुरुआत हुई तो लोकसभा के कई भाजपा सदस्य भी कार्यवाही देखने के लिए राज्यसभा में आ गए। राज्यसभा में लोकसभा के सदस्यों के लिए एक आगंतुक दीर्घा है। ये सदस्य भाषण सुन ही रहे थे कि राज्यसभा में थोड़े समय के लिए कुछ और कामकाज होने लगा क्योंकि गृहमंत्री अमित शाह को एक अन्य विधेयक पर लोकसभा में अपनी बात रखनी थी। जैसे ही सभापति एक वेंकैया नायडू ने कहा कि शाह दूसरे सदन में हैं, आगंतुक दीर्घा में मौजूद भाजपा के लोकसभा सदस्य तत्काल लोकसभा के लिए प्रस्थान कर गए। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री शाह ने बार-बार सदस्यों से यह आग्रह किया था कि वे अपने सदनों में मौजूद रहें। यही वजह है कि इन सदस्यों ने तत्काल कूच करने में ही भलाई समझी।

कलिता का इस्तीफा

राज्य सभा में विपक्षी दलों के तीन अन्य सदस्यों ने अपने-अपने दल छोड़ दिए हैं और वे जल्दी ही भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। समाजवादी पार्टी के सुरेंद्र सागर ने जहां कुछ दिन पहले अपनी पार्टी से इस्तीफा दिया था, वहीं सोमवार को उनके पुराने साथी संजय सेठ ने भी राज्यसभा की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया। कांग्रेस के लिए बड़ा झटका तब सामने आया जब उसके मुख्य सचेतक भुवनेश्वर कलिता ने राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया। रविवार तक कलिता पत्रकारों से कह रहे थे कि उन्होंने कुछ अन्य सदस्यों के साथ कश्मीर मसले पर चर्चा का नोटिस दिया है। जब सभापति ने कहा कि उन्होंने कलिता का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है तो कथित तौर पर कलिता द्वारा लिखा एक पत्र सामने आया। इस पत्र में लिखा था कि उन्होंने अनुच्छेद 370 और जम्मू कश्मीर के बंटवारे पर कांग्रेस के रुख के विरोध में इस्तीफा दिया है। उन्होंने लिखा कि पार्टी ने उनसे इस विषय पर व्हिप जारी करने को कहा लेकिन यह बात देश की जनभावना के खिलाफ होती। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पतन की ओर बढ़ रही है और वह इसमें सहयोग नहीं करना चाहते।

आपका पक्ष

कश्मीर के निर्णय पर एकजुटता जरूरी

केंद्र सरकार ने सोमवार को एक ऐतिहासिक एवं साहसिक निर्णय लेते हुए कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त कर दिया। जम्मू कश्मीर का विभाजन करते हुए कश्मीर एवं लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया है। इससे जम्मू कश्मीर के वर्तमान नियम और कानून बदल जाएंगे। गौरतलब है कि अनुच्छेद 370 के कारण कई नियम भारतीयों के लिए अन्यायकारक थे जैसे कि दोहरी नागरिकता, अलग झंडा, राज्य के अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा एवं नौकरी में उपेक्षित रवैया, अन्य राज्यों के लोगों के लिए वहां की संपत्ति खरीदने पर पाबंदी तथा ऐसे कई प्रावधान थे जो जनमानस के राष्ट्रभाव को ठेस पहुंचाते थे। देश के सामान्य से सामान्य नागरिक के मन में अनुच्छेद 370 के प्रति आक्रोश था। इस आक्रोश एवं भाव को समझते हुए केंद्र सरकार ने कठिन निर्णय लिया। अनुच्छेद 370 के कुछ प्रावधान हटाए जाने के बाद

मंगलवार को कश्मीर संबंधित प्रस्ताव पर लोकसभा में जवाब देते गृहमंत्री अमित शाह

राजनीतिक गलियारों में मत भिन्नता देखने को मिल रही है। कई कश्मीरी एवं अन्य पार्टियों के नेता इस निर्णय को असंवैधानिक करार देते हुए देश के लिए इसे काला दिवस बता रहे हैं। वहीं केंद्र सरकार के इस निर्णय का कई विरोधी दलों ने भी समर्थन दिया है। बहुजन समाज पार्टी, बीजू जनता दल, आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार का समर्थन किया है। देश के अधिकतर लोग सरकार के इस निर्णय की प्रशंसा कर रहे हैं। सुरक्षा कारणों के चलते देश में हाई अलर्ट जारी किया गया है और कश्मीर में हिंसा की आशंका के कारण वहां अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। पाकिस्तान इस निर्णय से असहमत है और वह इस मामले को संयुक्त राष्ट्र में रखने की बात कर रहा है। लेकिन संवैधानिक विशेषज्ञों के अनुसार सरकार ने जो निर्णय लिया है वह निर्णय संविधान का बारीकी से अध्ययन करने के बाद लिया है। इसलिए पाकिस्तान के रुख का कोई महत्त्व नहीं बचता है। जो नेता इसके विरोध में हैं उन्हें इसपर सकारात्मक सोचना चाहिए। दुश्मन देशों की नजर पहले से ही कश्मीर पर है तथा अनुच्छेद 370 कश्मीर में दावा करने के लिए उन्हें अवसर प्रदान करती थी। भविष्य में अंतरराष्ट्रीय राजनीति, चर्चाएं, बहस एवं कूटनीति इस मुद्दे में होगी। इसलिए देशहित के लिए सभी राजनीतिक दलों तथा लोगों को इस पर एकजुटता दिखानी होगी।

निशांत महेश त्रिपाठी, नागपुर

कृषि को बढ़ावा देने का सही समय

बारिश के साथ ही खेतों में जुताई और बुआई की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। लगभग सभी जगहों पर बुआई हो चुकी है। यही वक्त है जब सरकार को किसानों का पूरा साथ देना चाहिए। यह समय ऐसा है जब किसान असमंजस में रहते हैं कि कौन सी फसल की बुआई की जाए। सरकार को गांव स्तर पर किसानों को जानकारी देनी चाहिए कि कौन सी फसल उन्हें आगे चल कर अधिक मुनाफा देगी। तकनीक के दौर में मोबाइल से किसानों को जानकारी दी जा सकती है। सरकार को अपनी वेबसाइट पर कृषि संबंधी जानकारी डालनी चाहिए और किसानों को वेबसाइट पर जानकारी लेने के लिए आमंत्रित करना चाहिए। सरकार को यह बताना चाहिए कि किसी एक फसल की अधिक बुआई के कारण उसे घाटा हो सकता है। अत: सभी को अलग-अलग फसल की बुआई करनी चाहिए।

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिजनेस स्टैंडर्ड लिमिटेड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली - 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in उस जगह का उल्लेख अवश्य करें, जहां से आप ईमेल कर रहे हैं।